न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल , ग्वालियर म.प्र.

A-3588PB/17

(99)

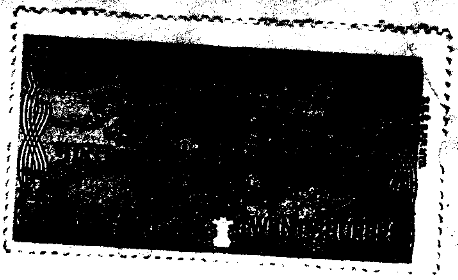

खुशीलाल आत्मज रामदयाल,

निवासी सिंघपुर ग्राम कोटवार सिंगपुर

तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद ------ अपीलार्थी.

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन ---------- उत्तरवादी.

अपील अंतर्गत धारा 44(2) मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता.

(F 1.31)

श्रीमान न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा खुशीलाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, प्रकरण क्रमांक 06/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2016 से दुखित होकर अपीलार्थी श्रीमान के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत करता है । न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय होशंगाबाद द्वारा प्रकरण क्रमांक 1-अ-19 (1) वर्ष 2015-16 मौजा सिंगपुर तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद में पारित आदेश दिनांक 26.07.2016 से दुखित होकर श्रीमान निम्न न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की थी ।

अपील के तथ्य एवं आधार

1/ यहकिश्रीमान निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से प्रथम दृष्टि में ही निरस्त होने योग्य है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **अपील 358—पीबीआर/17** [शुभीलाल/शासन] **जिला होशंगाबाद**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
27—3—2017	अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के आदेश दिनांक 31—12—2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि स्वत्व, स्वामित्व अधिनियम की धारा 45(2) के अन्तर्गत बतौर पारिश्रमिक सेवा भूमि होने के कारण कोटवार को मौरूसी हक उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिये अपीलार्थी को भूमिस्वामी अधिकार प्रदाय नहीं किये जा सकते हैं । उपरोक्त निष्कर्ष के साथ अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । फलस्वरूप यह अपील आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	